



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 5, 2015/वैशाख 15, 1937

No. 286]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 5, 2015/VAISAKHA 15, 1937

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2015

सा.का.नि. 360(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में और संशोधन करते हुए केन्द्र सरकार निम्नलिखित योजना बनाती है, यथा:—

1. (1) इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि (द्वितीय संशोधन) योजना 2015 के नाम से जाना जाएगा।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 (इसके पश्चात् मुख्य योजना के रूप में संदर्भित) पैराग्राफ 38 के उप पैराग्राफ (1) में—

(i) “पृथक बैंक ड्राफ्ट अथवा चैकों द्वारा” शब्दों के स्थान पर “इलेक्ट्रॉनिक भारतीय स्टेट बैंक अथवा अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक जिसे संग्रहण के लिए प्राधिकृत किया गया हो की इंटरनेट बैंकिंग सेवा के माध्यम से” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

(ii) प्रथम एवं द्वितीय एवबंध के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए यथा :—

“बशर्ते केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ऐसे कारणों, जिन्हें लिखित में रिकार्ड किया जाए, किसी नियोक्ता अथवा नियोक्ताओं की श्रेणी को अंशदान को इंटरनेट बैंकिंग के अलावा किसी अन्य माध्यम से जमा करने की अनुमति प्रदान करें”।

3. मुख्य योजना में, पैराग्राफ 48 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :

“48 - चालू खाता - आयुक्त नियोक्ताओं से प्राप्त अंशदान को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रीति के द्वारा अथवा इंटरनेट बैंकिंग के अलावा किसी अन्य माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में निधि के चालू खाते में जमा करेंगे”।

[फा. सं. एस-35012/02/2014-एस.एस.-II]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th May, 2015

G.S.R. 360(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Second Amendment) Scheme, 2015.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereafter referred to as Principal Scheme), in sub-paragraph (1) of paragraph 38,—

(i) for the words "by separate bank drafts or cheques", the words "electronic through internet banking of the State Bank of India or any other Nationalised Bank authorized for collection" shall be substituted.

(ii) for first and second provisos, the following shall be substituted, namely:—

"Provided that the Central Provident Fund Commissioner may for reasons to be recorded in writing, allow any employer or class of employer to deposit the contributions by any other mode other than internet banking".

3. In the Principal Scheme, for paragraph 48 the following paragraph shall be substituted as under:

"48. Current Account.— The Commissioner shall deposit the contributions received from the employers electronically through internet banking or any other mode other than internet banking in the Reserve Bank or the State Bank of India or any other Nationalised Bank in the Current Account of the Fund."

[F. No. S- 35012/02/2014-SS-II]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.